बियार जनजाति में प्रथागत कानून

प्रस्तावना :–

बियार जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर, बलरामपुर तथा कोरिया जिले में तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा तथा कुछ परिवार जांजगीर–चांपा जिले में निवासरत है। जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बियार जनजाति की जनसंख्या कुल 4403 है जिसमें पुरूष 2212 तथा महिलाएं 2191 शामिल है।

बियार जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बियार जनजाति में ऐसी मान्यता है कि बियार (बी+यार) शब्द की उत्पत्ति बीज से हुई है। जिसका मतलब बीज मित्र होता है। इनकी जाति का मुख्य व्यवसाय खेती करना तथा मिट्टी खोदना था। इनके अनुसार इनके पूर्वज मिर्जापुर तहसील से स्थानांतरित होकर मध्यप्रदेश सिंगरौली से होते हुये छत्तीसगढ़ में आये। बियार जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में लगभग 4 पीढ़ी पूर्व में निवासरत है।

बियार जनजाति के लोग आपस में मिल जुलकर रहते है। बियार जनजाति की आर्थिक स्थिति कृषि, मजदूरी तथा वनोपज संग्रहण पर निर्भर है। ये लोग मत्स्य आखेट भी करते है। बियार जनजाति मुख्यतः एकल परिवार में ही रहते है। ये लोग बांस से निर्मित हस्तशिल्प बनाते है जैसे : टोकरी, छवड़ी,

गरना, लकड़ी की झाड़ू आदि। बियार जनजाति में विभिन्न गोत्र होते है तथा विवाह के समय गोत्र मिलान किया जाता है। इनमें अलग–अलग गोत्रों में विवाह किया जाता है। इनके समाज में रक्त संबंधि तथा विवाह संबंधि दो तरह की नातेदारी व्यवस्था पायी जाती है।

अध्ययन क्षेत्र :–

छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के जिला सूरजपुर के भैयाथान विकासखण्ड के नवापारा एवं बिलासपुर संभाग के जिला कोरबा के पाली विकासखण्ड के ग्राम पोड़ी एवं करतला विकसखण्ड के ग्राम परसवानी विभिन्न ग्रामों में अध्ययन किया गया।

अध्ययन की प्राविधि :–

बियार जनजाति के प्रथागत कानून के अध्ययन के लिए जिला सूरजपुर के भैयाथान विकासखण्ड एवं जिला कोरबा के पोंड़ी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से प्रथम तथ्यों का संकलन कर प्रतिवेदन तैयार किया गया।

प्रथागत कानून :–

किसी समाज के द्वारा अपने समाज के अंदर न्याय व्स्वस्था को बनाये रखने तथा नैतिकता के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर नियम कानून बनाये जाते हैं, जिसके तहत आरोपी को जुर्माने से या दण्ड

से दंडित किया जाता है। समाज के द्वारा निर्मित इस व्यवस्था को प्रथागत कानून कहा गया है।

जाति पंचायत :–

बियार जनजाति समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने एवं सामाजिक अपराधों को रोकने एवं उसके निराकरण के लिए परंपरागत संगठनात्मक इकाई पायी जाती है, जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक जाति पंचायत प्रत्येक ग्राम या दो–तीन ग्राम को मिलाकर बनाया जाता है। बियार जनजाति में गौटिया (ग्राम के बियार जनजाति का मुखिया) ही इस जाति पंचायत का मुखिया होता है। मुखिया (गौटिया) के द्वारा ग्राम स्तर पर अपराधो का निराकरण किया जाता है, इनका निर्णय सर्वमान्य होता है। जो सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। ग्राम स्तर पर **अध्यक्ष** तथा **सिपाही** की नियुक्ति की जाती है। सिपाही अध्यक्ष के सहायक के रूप में कार्य करता है। इस पद हेतु जाति के सदस्यों के सर्व सम्मिति से चुनाव होता है। बियार जनजाति में विभिन्न अपराधों के लिए अलग–अलग दण्ड का प्रावधान है इनके पास अपराधों का निराकरण एवं कानून (सजा) का कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है ये तो परंपरागत रूप से स्थानांतरित होते आ रहा है। यह कानून जाति की मूल्यों एवं न्याय को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।

पूर्व में समाज में होने वाले अपराधों का निराकरण पूर्ण रूप से जाति पंचायत के द्वारा किया जाता था। इसमें सभी पक्षों एवं समाज के नैतिक

मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता था। अब इन पर भी आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। अब ज्यादातर अपराधों के निराकरण ग्राम पंचायत, थाना तथा न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। आज भी जातिगत मुद्दों जैसे **अंर्तजातीय विवाह, संगोत्र विवाह, आपसी झगड़ों पारिवारिक बंटवारों** आदि का निराकरण प्राथमिक स्तर पर जाति पंचायत के द्वारा किया जाता है।

बियार जाति में जाति पंचायत ग्राम, जिला, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय है। यदि किसी अपराध या वाद-विवाद का निराकरण ग्राम स्तर पर नहीं हो पाता है तो उसका स्थानांतरण उसमें बड़ी जाति पंचायत के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बियार जनजाति में वर्ष में एक बार फागुन के बाद (मार्च-अप्रैल) महासभा का आयोजन किया जाता है। इस महासभा में ही **जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय** तथा **राष्ट्रीय जाति पंचायत** के सदस्यों का चुनाव बियार जनजाति के सदस्यों की आम सहमति से किया जाता है। जिस जिले में महासभा की बैठक होती है उस जिले के निवासी सभी बियार जनजाति के घर से कम से कम एक सदस्य का आना अनिवार्य होता है। महासभा में जो परिवार शामिल हो पाने में असमर्थ है इसे पूर्व में अध्यक्ष (गौटिया) को सूचना देना पड़ता है ऐसा नहीं करने पर उन परिवार को दण्ड स्वरूप 100 रूपए जुर्माना भरना पड़ता है।

बियार जनजाति समाज में जाति पंचायत चार चरणों में पाया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

1. **ग्राम स्तीय जाति पंचायत :–** ग्राम स्तरीय जाति पंचायत में ग्राम या क्षेत्र स्तर के असमाजिक तथा सामाजिक विवादों आदि का निपटारा किया जाता है इसमें ग्राम के ही बियार जनजाति समुदाय के गौटियां को अध्यक्ष मान लिया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए सिपाही का चुनाव किया जाता है।

2. **जिला स्तरीय जाति पंचायत :–** ऐसे प्रकरण या विवाद जिनका निराकरण ग्राम स्तरीय जाति पंचायत से नहीं हो पाता या ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपील करने पर जिला स्तरीय जाति पंचायत में सुनवाई होती है तथा इनके द्वारा निराकरण किया जाता है। जिला स्तरीय जाति पंचायत अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर आयोजित किया जाता है।

3. **राज्य स्तरीय जाति पंचायत :–** ग्राम स्तर एवं जिला स्तर के ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण इनसे नहीं हो पाता है। ऐसे प्रकरण राज्य स्तरीय जाति पंचायत में सुनवाई हेतु भेजे जाते है। प्रकरणों की सुनवाई के अलावा समाज में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में भी निर्णय लिया जाता है। राज्य स्तरीय जाति पंचायत के द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार महासभा का आयोजन किया जाता है। जिसमें सामाज से संबंधित विकास कार्यो एवं समाज की कानून व्यवस्था

को बनाये रखने के लिए नियम सर्वसम्मति से बनाये जाते है। जिनका पालन समाज के सभी लोगों के द्वारा किया जाता है।

4. **राष्ट्रीय जाति पंचायत :–** बियार जनजाति में राष्ट्रीय जाति पंचायत भी पाया गया है। इनके द्वारा निवासित बियार जनजाति के लोगों को संगठित किया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर समाज में एकरूपता लाने का कार्य किया जाता है।

विभिन्न जाति पंचायत को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए निम्न पदों की व्यवस्था की गई है।

1. **अध्यक्ष :–** बियार जनजाति में ग्राम स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय जाति पंचायत पाया जाता है। सभी जाति पंचायत में अध्यक्ष की मुख्य भूमिका होती है। ग्राम स्तरीय जाति पंचायत अध्यक्ष के अलावा सभी अध्यक्ष का चुनाव महासभा की बैठक में बियार जनजाति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

2. **सिपाही :–** ग्राम स्तर पर जाति पंचायत के अध्यक्ष पद के अलावा सिपाही का भी चयन किया जाता है। जो कि अध्ययक्ष के चपरासी आदि का कार्य है।

3. **उपाध्यक्ष :–** जाति पंचायत में अध्यक्ष के पद के बाद उपाध्यक्ष का पद होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष का पद

संभालना पड़ता है। ऐसे समय में निर्णय लेने का अधिकार उपाध्यक्ष का होता है। उपाध्यक्ष का पद भी सभी जाति पंचायतों में होता है (ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के अलावा)। उपाध्यक्ष का चुनाव बियार जनजाति के सदस्यों की सहमति से होती है।

4. **सचिव :–** बियार जनजाति के सभी जाति पंचायत में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बाद सचिव की मुख्य भूमिका होती है। सचिव पद के उम्मीदवार का चयन महासभा में बियार जनजाति के सदस्यों की सहमति से होता है।

5. **उप सचिव :–** उप सचिव पद हेतु उम्मीदवार का चुनाव बियार जनजाति के सदस्यों की सहमति से महासभा में ही होता है। उप सचिव सचिव के सहायक के रूप में कार्य करते है।

6. **कोषाध्यक्ष :–** कोषाध्यक्ष का चुनाव बियार जनजाति के सदस्यों की सहमति से महासभा में होती है। सामाजिक कार्यो हेतु जमा राशि, दण्ड स्वरूप प्राप्त राशि तथा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि के संधारण तथा व्यय करने का कार्य कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।

इन पदों के अलावा जाति पंचायतों में आवश्यकता अनुसार अन्य पद जैसे–महामंत्री, महासचिव, सांस्कृतिक मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य होते हैं।

बियार जनजाति में निर्धारित जुर्माना अथवा दण्ड :–

1. **पुरूष द्वारा अन्य समाज की लड़की से विवाह करने पर –** बियार जनजाति का कोई लड़का अन्य समाज की लड़की से विवाह कर लेता है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। इनके द्वारा समाज को दण्ड स्वरूप कच्ची–पक्की (एक दिन शाकाहारी तथा एक दिन मांसाहारी खाना) खिलाने पर इनके बच्चों को समाज में मिला लिया जाता है।

2. **महिला द्वारा अन्य समाज के पुरूष से विवाह करने पर –** समाज की कोई लड़की अन्य समाज के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जबकि लड़की के मां–बाप को समाज द्वारा निर्धारित दण्ड के रूप में 2000 रूपए जमा करना पड़ता है। इसके पश्चात ही इन्हें समाज में रहने दिया जाता है।

3. **चोरी करने पर –** बियार जनजाति के किसी सदस्य पर यदि चोरी का आरोप साबित हो जाता है तो उसे दण्ड के रूप में 100 रूपए देना पड़ता है।

4. **वाद–विवाद की स्थिति में –** बियार जनजाति का कोई सदस्य नशे की हालत में वाद–विवाद करते पाये जाने पर उसे 500 रूपए अर्थदण्ड भरना पड़ता है।

5. **कनटूटी –** बियार समाज में महिला अपने कान में आभूषण धारण करने हेतु कान में छेद कराती है। जब छेद आभूषण पहनने के कारण पूरी तरह खुल जाता है, तो उसे **कनटूटी** कहते है। ऐसी स्थिति में महिला को जाति पंचायत के द्वारा दो हजार रूपये एवं समाज को कच्ची–पक्की अथवा एक बकरा व दारू का दण्ड दिया जाता है।

6. **फूलपरी –** बियार जनजाति में किसी सदस्य के अंग में बिमारी या घाव के कारण शरीर में कीड़ा पड़ जाने की स्थिति में उसे छूत मानते है। इसे ही फूलपरी कहते है। ऐसे सदस्य को भी समाज से बाहर कर दिया जाता है अथवा इन्हे समाज में बने रहने के लिए समाज को कच्ची–पक्की खिलाना पड़ता है।

7. **बुंदा (विवाहित महिला को भगाने पर) –** बियार जनजाति का कोई व्यक्ति यदि किसी विवाहित महिला को भगाकर ले जाता है तो उसे बूंदा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में बने रहने के लिए महिला के पूर्व पति को 5000 रूपए अथवा विवाह का खर्च देना पड़ता है।

8. **तलाक –** इस समाज में विवाह के पश्चात पुरूष अथवा महिला दोनों में से जिस सदस्य के द्वारा तलाक मांगा गया है उसे 10 हजार रूपए अर्थदण्ड (शादी के खर्च के हिसाब से) जमा करना पड़ता है।

9. **भय–भसूर छुआछूत–** बियार जनजाति के किसी परिवार में यदि बहु के द्वारा अपने जेठ को छू लिया जाता है, तो उसे भय–भसूर छूआछूत कहते है। उसके लिए 5 हजार रूपए अथवा पक्की (मांसाहारी खाना) का दण्ड के रूप में प्रावधान है।

10. **मामा ससुर छुआछूत –** इस समाज के किसी परिवार की बहु अगर अपने मामा ससूर के छू लेती है तो उसे मामा ससुर छुआछूत कहा जाता है। ऐसे में बहू को समाज को 500 रूपए अर्थदण्ड अथवा पक्की भोजन कराना पड़ता है।

11. **गौमरी –** समाज के किसी सदस्य के हाथों से या गलती से गाय की हत्या हो जाने पर उस सदस्य को गाय के पिण्ड दान करना पड़ता है तथा घर की शुद्धिकरण करने के बाद समाज वालों को पक्की भोजन कराना पड़ता है।

12. **संबंधी–सबंधन छुआछूत** – इस समाज के किसी परिवार की संबंधी अथवा सबंधन एक दूसरे को छू लेते है तो संबंधी संबंधन छुआछूत कहते हैं। उन्हें समाज को 500 रूपए अर्थदण्ड अथवा पक्की भोजन कराना पड़ता है।

13. अन्य समाज के व्यक्ति का सामाजिक संस्कार बियार जनजाति के रीति–रिवाज से करने पर 1000 रूपये तथा समाज को कच्ची–पक्की भोज कराने का प्रावधान है।

वाद इतिहास (Case History)

1. वाद का प्रकार :- **बियार समाज के लड़के द्वारा अन्य समाज की लड़की से विवाह करना।**

(अ) वाद (केस) :- राम प्रसाद बियार वल्द रामनारायण बियार के द्वारा अन्य (तेली) जाति की लड़की से विवाह करना।

सजा :- बियार समाज से बहिस्कृत अथवा 2000 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा समाज को कच्ची-पक्की भोज कराना।

जाति पंचायत का निर्णय :- आर्थिक दण्ड दो हजार रूपए तथा समाज को कच्ची-पक्की भोजन तथा शराब पिलाने पर समाज में वापस जोड़ा गया।

(ब) वाद (केस) :- ग्राम बंजा निवासी निर्धुन बियार के लड़के के द्वारा अन्य अनुसूचित जाति की लड़की को भगा ले जाने के कारण।

सजा :- समाज से बहिस्कृत अथवा 1000 हजार रूपये अर्थदण्ड।

जाति पंचायत का निर्णय :– लड़के के पिता को ओरका छूत 1000 रूपए आर्थिक दण्ड समाज में जमा कराने के पश्चात समाज में मिला लिया गया।

2. वाद का प्रकार :– अन्य समाज के सदस्य का बियार समाज के रीति–रिवाज से मृत्यु संस्कार करने पर।

वाद (केस) :– ग्राम कटकोना जिला–कोरिया निवासी रतन साय की माता गोड़ जाति की थी, उनकी मृत्यु के पश्चात शानसाय बियार ने अपनी माता का मृत्यु संस्कार बियार जनजाति के रीति रिवाज से किया।

सजा :– समाज से बहिस्कृत अथवा 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं समाज को कच्ची–पक्की भोज कराना।

जाति पंचायत का निर्णय :– रतन साय बियार को सामाजिक दण्ड के अनुसार समाज को 1000 रूपये देना पड़ा तथा कच्ची–पक्की के साथ व शराब पिलाना पड़ा।

3. वाद का प्रकार :– बुंदा (बियार समाज की विवाहित महिला को बियार समाज के अन्य पुरूष के द्वारा भगा ले जाने को बुंदा कहते है।)

वाद (केस) :– ग्राम नवापारा निवासी धरमजीत पिता बहादुर की पत्नि हीरामणी को नारायण बियार के द्वारा भगा ले जाने पर।

सजा :– समाज से बहिस्कृत अथवा अन्य पुरूष के द्वारा महिला के पूर्व पति को पहले विवाह का खर्च देना पड़ता है।

जाति पंचायत का निर्णय :– नारायण ने धरमजीत की पत्नि हीरामणी को भगाकर ले गया इसलिए जाति पंचायत के फैसले के अनुसार नारायण से धरमजीत को विवाह का खर्च एक हजार एक रूपए दण्ड दिया गया। इसके पश्चात दोनों को समाज में मिला लिया गया।

4. वाद का प्रकार :– गौ हत्या करने पर अथवा भूलवश हो जाने पर।

वाद (केस) :– ग्राम नवापारा निवासी धरमपाल तथा उसके भाई रामनारायण ने अपने बैल के चारों पैर रस्सी से बांध दिया क्योकि वह बैल बार–बार बाड़ी में घुसकर सब्जी खा लेता था। जिससे उनके बैल की मृत्यु हो गई।

सजा :– समाज से बहिष्कृत अथवा अंतिम संस्कार के बाद की शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना।

जाति पंचायत का निर्णय :– जाति पंचायत के अनुसार गौ हत्या पाप है। इस लिए धरमपाल तथा रामनारायण को इलाहाबाद जाकर पिण्ड दान करना पड़ा तथा पूरी करने के बाद गौ माता को भोजन दान करना पड़ा तथा समाज के लोगों को भी भोजन कराना पड़ा।

5. वाद का प्रकार :– **संबंधी–संबधन छुआछूत।**

वाद (केस) :– ग्राम रोझी जिला कोरिया निवासी दुकान राम ने अपनी दूर की संबंधन से विवाह कर लिया।

सजा :– सामाजिक बहिस्करण अथवा 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा सामाजिक कच्ची–पक्की भोज कराना।

जाति पंचायत का निर्णय :– दुकान राम ने संबंधी संबधन छुआछूत को न मानते हुए सामाजिक नियम तोड़ा है, इस कारण जाति पंचायत के निर्णय के अनुसार इन्हें दण्ड स्वरूप दो हजार देना पड़ा तथा सामाजिक कच्ची–पक्की भोजन कराना पड़ा।